प्रेस नोट थाना बण्डा
जनपद शाहजहाँपुर
सराहनीय कार्य दिनांक 23.02.2026

"थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार"

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी पुवायां महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान गिरफ्तारी व तलाश वांछित/वारन्टी व चिन्हित किये गये अपराधियो के विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में आज दिनाँक 23.02.2026 को थाना बण्डा पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 24.10.2025 को वादी मुकदमा श्री सत्यदेव पुत्र रघुनन्दन निवासी ग्राम बिरहना बुजुर्ग थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर की तहरीर पर बावत अभियुक्तगण 1.नन्हेलाल 2. मानसिंह 3. राजेश 4.महेश्वरी 5. सुखरानी 6. महेशचन्द्र निवासीगण ग्राम विरहाना बुजुर्ग थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी की पत्नी व फूफा को गालियां देना व जान से मारने की धमकी देने देकर लाठी डण्डो व धारदार हथियार से मारने पीटने जिससे फूफा की आँख पर गंभीर चोट लगने व मौके पर बेहोश हो जाने के सम्बन्ध में थाना बण्डा पर मु0अ0सं0 538/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/110/352/351(2) बी0एन0एस पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन से धारा 110 BNS का लोप करते हुए धारा 109(1)/117(2) BNS की वृद्धि की गयी। दौराने विवेचना अभियुक्त राजेश पुत्र रघुनन्दन उपरोक्त द्वारा दिनांक 20.01.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 23.02.2026 को थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा गश्त के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वाछिंत अभियुक्त नन्हेलाल पुत्र रघुनन्दन प्रसाद उम्र करीब 35 वर्ष उपरोक्त को कढेर चौराहे से समय करीब 09.45 बजे गिरफ्तार किया गया। वैधानिक कार्यवाही के उपरांत अभियुक्त को मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

नन्हेलाल पुत्र रघुनन्दन प्रसाद उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम विरहाना बुजुर्ग थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समयः-

दिनांक 23.02.2026 को समय 09.45 बजे कढैर चौराहा से

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

मु0अ0स0 538/2025 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/109(1)/352/351(2)/117(2) भारतीय न्याय संहिता

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

मु0अं0सं0 1063/2015 धारा 323/504/506 भादवि थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
मु0अं0सं0 821/2023 धारा 435/427 भादवि थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
मु0अं0सं0 462/2025 धारा 131/324(4)/351(2)/352 BNS थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि हमारा अपने भाई व फूफा रामचंद्र के साथ खेत का विवाद चल रहा है। घटना वाले दिन मै अपने खेत पर मौजूद था तभी मेरे भाई व भाभी तथा फूफा रामचन्द्र खेत पर आये और किसी बात को लेकर हम लोगो

में लडाई झगडा हो गया था जिसमें हम दोनो पक्षो को चोटे आ गयी थी। लेकिन मुझे यह नही पता कि उनकी आँख में कैसे चोट लगी और न ही मैने उनके सिर पर मारा था ।

गिरफ्तार करने वाली टीमः –

1. श्री प्रदीप कुमार राय प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 प्रदीप कुमार थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 अमर कान्त सिंह थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर